रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1985/पौष 13, 1906
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 1985/PAUSA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1985

संख्या 37/1/1/85/डी.—राष्ट्रपति का दिनांक 2 जनवरी, 1985 का निम्न-लिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, लोक सभा को मंगलवार, 15 जनवरी,

1985 को 11.00 बजे म.पू. नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता हूं ।

2 जनवरी, 1985

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।

सुभाष काश्यप, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 1985

No. 37|1|I|85|T.—The following order by the President dated the 2nd January, 1985, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Tuesday, the 15th January, 1985 at 11 A.M.

January 2, 1985

ZAIL SINGH,
PRESIDENT."

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985